न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2018 भरण पोषण अधिनियम

औमप्रकाश पुत्र स्व. श्री खेताराम सोनी निवासी वार्ड नं. 14 नई आबादी संगरिया थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्णा सोनी पत्नी स्व. श्री श्रवण कुमार सोनी निवासी वार्ड नं. 14 रोड़ बीकानेर वस्तु भण्डार वाली गली, संगरिया थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. शुभम सोनी पुत्र स्व. श्री श्रवण कुमार सोनी निवासी वार्ड नं. 14 रोड़ बीकानेर वस्तु भण्डार वाली गली, संगरिया थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. किरण सोनी पत्नी जगदीश सोनी साकिन श्रीगंगानगर।

––रेस्पोडेन्टस

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2018 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया प्रकरण संख्या–61/2018 अनवानी औमप्रकाश सोनी बनाम कृष्णा सोनी आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय

दिनांकः–28.10.2021

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपने स्वामित्व का आवासीय मकान सं. 82 वार्ड नं. 14, संगरिया का प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 से खाली करवाने का अनुतोष चाहा गया था जिसे भरण पोषण अधिकारी द्वारा नहीं दिलाया गया जिससे नाराज होकर अपीलाथर्सी ख्हा अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलार्थी 85 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति है। अपीलार्थी की पत्नी का देहांत हो चुका है। अपीलार्थी ब्लड प्रेशर का रोगी है तथा अपीलार्थी की पेशाब की नली खराब है। अपीलार्थी को रोजाना दवाई लेनी पड़ती है। प्रत्यर्थी सं. 01 अपीलार्थी की पुत्रवधु है तथा प्रत्यर्थी सं. 02 अपीलार्थी का पौत्र है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थीगण कोई कार्य नहीं करते है। अपीलार्थी अपनी दवाईयां लेने व रोजमर्रा के कार्य के लिए बाजार जाना पड़ता है। अपीलार्थी जब वापिस घर आता है तो घर के ताला लगा होता है। अपीलार्थी गर्मी सर्दी में दो–दो तीन–तीन घंटे घर से बाहर बैठकर प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 का इंतजार करता है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 हमेशा अपीलार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करते है और उस पर हाथ उठाने को आतुर हो जाते है। अपीलार्थी एक 85 वर्षीय व्यक्ति है जो सम्मान पूर्वक जीवन के अपने अंतिम समय व्यतीत करना चाहता है। अपीलार्थी ने उक्त रिहाईशी मकान नं. 82 वार्ड नं 14 अपनी कमाई से जमीन खरीदकर बनाया है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने नई धान मंडी संगरिया में दो दुकानों के ऊपर चार चौबरे, दो लेट्रीन, दो बाथरूम, रसोई बना रखी है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 अपीलार्थी का न तो कोई ध्यान रखते हैं और न ही भरण पोषण करते हैं अपितु प्रत्यर्थी सं.

Web Copy, Not Official

01 व 02 अपीलार्थी के साथ गाली गलौच करते है तथा उस पर कई बार हाथ भी उठा लेते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 के साथ नहीं रह सकता। अपीलार्थी के स्वामित्व का मकान प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 से खाली करवाया जावे।

प्रत्यर्थी सं. 01 के पति व 02 के पिता श्रवण कुमार के मालिकाना हक की नई धान मंडी, संगरिया में दुकाने हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक की शाखा खुली हुई है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को उन दोनों दुकानों से 35,000 मासिक की आय होती है। प्रत्यर्थी सं.01 व 02 का जयपुर में एक आवासीय फ्लैट है जो उन्होने 25,000 रूपये मासिक किराये पर दे रखा है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को 75,000 रूपये प्रतिमाह आय होती है। अपीलार्थी के उसके स्वामित्व के मकान सं. 82 वार्ड नं. 14 को पुलिस सहायता से खाली कर प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को बेदखल कर खाली करवाया जावे तथा अपीलार्थी का सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध करवाया जावे। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने दो दुकाने तथा एक फ्लैट अपना होना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई तर्क दिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थी को 9000 रूपये प्रतिमाह का भरण पोषण हेतु बतौर मुआवजा अदा करने के आदेश पारित किए है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अपीलार्थी को उसके स्वामित्व का मकान का कब्जा क्यों न दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के मकान का कब्जा दिलाये जाने के संदर्भ में कोई मत प्रकट नहीं कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा मकान से सम्बन्धित नगर पालिका संगरिया से रिपोर्ट मंगाई गई थी। नगरपालिका संगरिया द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भूखण्ड सं. 82 का स्वामित्व औमप्रकाश व देवीलाल का है। देवीलाल का हिस्सा बंटवारा में अपीलार्थी को प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त मकान केवल मात्र अपीलार्थी का है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 से अत्यंत दुखी है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 अपीलार्थी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते है और न ही उसकी सेवा चाकरी करते है अपितु अपीलार्थी के साथि मारपिटाई करते हैं तथा अपीलार्थी को दो–दो घंटे घर से बाहर बैठने के लिए मजबूर करते है। अपीलार्थी अपनी समस्त सम्पत्ति की वसीयत अपने पूर्ण होशोहवास में कर चुका है। प्रश्नगत भूखण्ड में प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने विवादित मकान अपना होने का कथन नहीं किया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 03 से कोई भरण–पोषण नहीं चाहा है। अपीलार्थी नं विचारण न्यायालय के समक्ष जिन न्यायिक नजीरों को प्रस्तुत किया था उन न्यायिक नजीरों के बारे में भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई अपना मत व्यक्त नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनां 11.06.2018 को प्रस्तुत किया लेकिन इसके बाद प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध घरेलु हिंसा का मुकदमा दिनांक 06.08.2018 को प्रस्तुत कर दिया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 01 के सम्बन्ध कितने बिगड़ चुके है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी के पास इस रिहायशी मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी मकान नहीं है जबकि प्रत्यर्थीगण के पास अन्य रिहायशी मकान उपलब्ध है। अतः प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को अपीलार्थी के आवासीय मकान सं. 82 वार्ड नं. 14 से पुलिस सहायता से बेदखल किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस व रिकॉर्ड अधिनस्थ न्यायालय तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा मकान के सम्बन्ध में जांच करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा जांच करवाई गई। मुताबिक जांच प्रार्थी व अप्रार्थी में विवाद बरामदे की जगह को लेकर है। अप्रार्थीया उसमें लगी दुकान हटाना नहीं चाहती। जबकि प्रार्थी बरामदे में लगी दुकान हटवाना चाहता है। अप्रार्थीया भी इस बात पर सहमत है कि वह प्रार्थी को बरामदे में नहीं रोकेगी। उपखण्ड अधिकारी, संगरिया द्वारा आपस में समझाईश की गई तथा प्रार्थी को 3000

हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 8 माह की राशि 24,000 रूपये एकमुश्त भुगतान जरिये बैंक एचडीएफसी चैक नं. 001841 राशि 24,000 रूपये दिनांक 28.06.2019 को करवाया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस लम्बे समय से उपस्थित नहीं आ रहे है। अतः मैरिट पर निर्णय किया जा रहा है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2018 द्वारा अपीलार्थी को रेस्पोडेन्टस से 3000–3000 रूपये कुल 9000 रूपये भरण–पोषण हेतु दिये जाने बाबत आदेश दिये जा चुके है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 01.10.2018 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया को पालनार्थ लौटाया जावे व आदेश की प्रति जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़